डीजी–परिपत्र संख्या–48/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः दिसम्बर 31 ,2020

विषयः–वाहन चोरी के अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश में वाहन चोरी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं पुलिस द्वारा वाहन चोरी के अधिकांश प्रकरणों में अपराधियों को पकड़ने एवं चोरी गये वाहनों की बरामदगी में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है। वाहन चोरी की अधिकतर घटनाओं में मंदिर, मॉल, शराब की दुकानों, पार्को, बैंक, अस्पतालों एवं घरों के बाहर खड़े वाहनों पर चोरों की नजर रहती है। वाहन चोरी की अधिकतर घटनायें इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। किसी गैंग के पकड़े जाने के पश्चात उनसे बरामद किये गये वाहनों को उनकी चोरी से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों से मिलान कर उनके मूल स्वामी को नियमानुसार मा0 न्यायालय से आदेश कराकर लौटाने के भी सार्थक प्रयास नही किये जाते हैं। ऐसे वाहन काफी संख्या में विभिन्न थानो पर एकत्र हो जाते हैं और उनका ह्रास होता रहता है। यह स्थिति निसंदेह चिन्ताजनक है।

2. अतएव वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के सार्थक प्रयास किये जाये तथा वाहन चोरी की घटनाओं में सलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा बरामद किये गये वाहनों को चोरी गये वाहनों के अभियोगों से मिलान कर वाहन स्वामियों को वापस किये जाने का सतत प्रयास किया जायें। इस हेतु आपके रतर रो कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी कुछ बिन्दु सुझाव के रूप में अनुपालनार्थ प्रस्तुत किये जा रहें हैंः–

- वाहन चोरी की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया जाये तथा वाहन चोरी होने की सूचना प्राप्त होते ही जनपद के नियन्त्रण कक्ष को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाये कि जनपद के समस्त थाना, चौकियों पर गम्भीरतापूर्वक चोरी गये वाहन की चेकिंग करायी जाये।
- जनपद के डीसीआरबी के प्रभारी द्वारा चोरी गये वाहनों के चेचिस नं0, मेक वर्ष, आदि विवेचक से प्राप्त कर एन0सी0आर0बी0 द्वारा विकसित करायी गयी वेबसाइट पर फीडिंग करायी जाये।
- वाहन चोरी के अपराध में पूर्व में पकड़े गये अभियुक्तों का फोटो सहित डोजियर थाने, डीसीआरबी में रखा जाये ताकि वाहन चोरी की घटना होने पर ऐसे अपराधियों की तलाश कर वाहन चोरी के सम्बन्ध में पूछताछ की जाये।
- वाहन चोरी के अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाये जिसमे उनका अपराध करने का तरीका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। ऐसे अपराधियों का सहयोग करने वाले लोग जैसे वाहन के फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी के वाहनों को बेचने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जाये।
- प्रायः वाहन चोरी करने के उपरान्त अपराधी वाहन को गैराज में ले जाते हैं जहॉ इनमें तोड़फोड़ कर उसके रंग रूप को बदल कर वाहन को बेचने का प्रयास किया जाता है इसलिए आवश्यक है कि स्थानीय पुलिस अपने क्षेत्र के गैराजों पर सतर्क दृष्टि रखे।
- जहॉ कहीं भी वाहन चोरों का अन्तरजनपदीय/अन्तर्राज्यीय गैंग प्रकाश में आता है तो उनका आपराधिक इतिहास संकलित कराकर उनके विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये तथा चोरी किये गये वाहनों से अर्जित सम्पत्ति का गैगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाय तथा इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों पर 110जी की कार्यवाही की जाये।

- इस प्रकार के पंजीकृत अपराधों की विवेचना का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर शीघ्रता से कराया जाये।
- वाहन चोरी के अभियोगों की प्रभावी ढंग से पैरवी करायी जाये तथा वाहन चोरी के अपराध में जमानत पर छूटे अपराधियों की सतर्क निगरानी भी रखी जाये।

❖ **वाहन चोरी की घटनाओं के रोकथाम के सम्बन्ध में जनता के व्यक्तियों को निम्न बिन्दुओं पर जागरूक किया जायेः–**

- चोरी होने वाले वाहनों में अधिकांश वाहन ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक ढंग से लॉक नहीं किया गया होता है। वाहनों को ठीक ढंग से लॉक करने, गाड़ी की चाभी को वाहन में न छोड़ने के सम्बन्ध में वाहन स्वामी/चालक को जागरूक किया जाये।
- वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम में पुलिस के साथ आमजन की भी महती भूमिका होती है यदि वाहन खरीदते समय वाहन में सुरक्षात्मक उपकरण लगा लिया जाये तो वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, इस हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाये।
- वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि से विण्डो एचिंग, जी0पी0एस0 यंत्र, सेट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्टेयरिंग लॉक, गियर लॉक, कार व्हील टायर लॉक क्लैंप, इंजन इमोबिलाइजर, पैडल लॉक, ब्रेक पैडल लॉक, क्लच पैडल लॉक के साथ ही नवीनतम सचेत करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के उपयोग करने हेतु वाहन स्वामियों को प्रेरित किया जाये।

3. आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें एवं एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को इस निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
3.अपर पुलिस महानिदेशकसमस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।